

**INSPECTION REPORT**

**IN OA 8/2021 (CZ)**

**KRISHNA GOPAL BAIRAGI**

**V/S**

**STATE OF MADHYA PRADESH**

**Date of Order- 27.04.2022**

**Date of Inspection- 31.05.2022**

## **ACTION TAKEN REPORT**

**Action taken report in reference to Hon'ble NGT (CZ), Bhopal vide its order dated 27.04.2022 in OA no. 8/2021 Shri Krishna Gopal Bairagi v/s Govt. Of M.P. & Ors.**

In reference to the orders of Hon'ble NGT vide order dated 27/04/2022 in the matter of OA 08/2021 Shri Krishna Gopal Bairagi v/s Govt. Of M.P. & Ors, a site visit of Vijasan Dhaam Colony, Sehore was held by the officials of RO, MPPCB Bhopal on dated 31/05/2022. The observations noted during the inspection are as follows:-

1. River Seevan is a non perennial river and during inspection it was found dry and no flow is observed. River Seevan is located on the southern side of the Vijasan Colony, Sehore.
2. Septic tank and soak pit is provided by individual households for the treatment of sewage.
3. No discharge from septic tank or discharge of wastewater was found is observed flowing towards Seevan river during the inspection.
4. Letter has been issued to CMO, Sehore and Tehsildar, Sehore on dated 30/05/2022 seeking action taken report in reference to order of Hon'ble NGT.

### **Action Taken: By MPPCB**

1. As the colony is illegal and required permissions are not obtained from the concerned department and environmental compensation is estimated based on the non compliance observed.
2. Environmental Compensation (EC) to be levied on the builder of Vijyasan Dham Colony as per the order of Hon'ble NGT in case of OA 593/2017 dated 28/08/2019. As per the record of MPPCB, the violation is taken from dated 04/01/2019 of illegal construction was observed along the seevan river in Sehore. The calculation steps of environmental compensation are attached as per **Annexure-1**. It is proposed to levy Environmental Compensation of sum. **Rs. 10,63,680/- (Rs. Ten Lacs Sixty Three Thousand Six Hundred Eighty Only)** on the builder for not providing sewage treatment plant. The violation period has been calculated from the first date of inspection i.e. 04/01/2019 to 31/05/2022.

### **Action Taken: By Nagar Palika, Sehore**

1. Nagar Palika, Sehore vide its letter dated 16/06/2022 has submitted the action taken report. The copy of the letter is enclosed as **Annexure - II**. The pointwise information as provided by Nagar Palika is as under;
  - a. Nagar Palika, Sehore vide its letter No 2496 Dated 02/06/2022 intimated the order of Honble NGT to Tehsildar (Town) Sehore for demarcation of the boundary of river.
  - b. The shifting of brick kilns located near Seevan river is taken up by Nagar Palika, Sehore. Notices are issued to the brick kilns owners for shifting. Due to local body election the shifting work will be taken up after the election.

- c. For construction of illegal colony, the legal action is initiated against the colonizers of Vijasan Dham colony.
- d. The DPR of remaining part of installation of sewage collection and treatment system of Sehore town is prepared under AMRUT Yojna 2.0. The area of Vijyasan Dham colony will cover under this sewerage network and will treat in Jhuniyabadi sewage treatment plant.



**(A.K.Bisen)**  
Executive Engineer  
RO, MPPCB Bhopal



**(Brajesh Sharma)**  
Regional Officer  
RO, MPPCB, Bhopal

## Calculation of Environment Compensation to be levied on builder of Vijasan Dham Colony, Sehore:

Environmental Compensation (EC) to be levied on concerned individual/authority as per the order of Hon'ble NGT in case of OA 593/2017 dated 28/08/2019 may be calculated as:

$$EC \text{ (Lacs Rs.)} = 17.5 \times (\text{Total Sewage Generation} - \text{Installed Treatment Capacity}) + 55.5 \times (\text{Total Sewage Generation} - \text{Operational Capacity}) + 0.2 (\text{Sewage Generation} - \text{Operational Capacity}) \times N + \text{Marginal Cost of Environmental Externality} \times (\text{Total Sewage Generation} - \text{Operational Capacity}) \times N$$

Where; N= Number of days from the date of direction of CPCB/SPCB/PCC till the required capacity systems are provided by the concerned authority. Quantity of Sewage is in MLD”.

As per above methodology, the information recorded during inspection and based on following parameters environmental compensation is assessed:-

S.no.	Components of EC	Estimated value	Remarks
1	Water demand per day (MLD) (approx.)	0.030	Calculated for total no. of dwellings = 45 Assumptions as per NBC : No. of persons per family = 5 Minimum domestic water supply=135 lpcd
2	Total Sewage Generation per day (MLD) (approx.)	0.024	Assumptions as per CPHEEO manual: Sewage generation = 0.8 x Water demand
3	Installed Treatment Capacity (MLD)	0.0	STP not provided by builder. (Individual hoses are having their own septic tanks and soak pits.)
4	Operational Capacity of STP (MLD)	0.0	
5	Gap in treatment of Sewage (MLD)	0.024	Total Sewage generation – Installed treatment capacity of STP = 0.024 Total Sewage generation – Operational treatment capacity of STP = 0.024
5	N=No. of days of violation	1234	No. of days of violation is calculated from first date of inspection held on dated 04/01/2019 in ref. to Hon'ble NGT OA 25/2018 i.e. on <b>04/01/2019 to 31/05/2022</b>
6	Marginal cost of Environmental Externality (Lacs rs. per day)	0.1	As per the guidelines of CPCB &NGT order in case of OA 593/2017 dated 28/08/2019 the Marginal Cost of Environmental Externality is taken as minimum 0.05 and maximum 0.1 for sewage up to 200 MLD.
	<b>Environmental Compensation</b>	<b>Rs. 10,63,680/-</b>	<b>EC = 17.5*(0.024-0) + 55.5*(0.024-0) + 0.2*(0.024-0)*1234 + 0.1*(0.024-0)*1234</b> <b>EC = 10.6368 (in Lacs Rs.)</b>

कार्यालय नगर पालिका प्रशासन सीहोर, जिला सीहोर म.प्र.

क्र. 2647 न्याया.शा./नपासी/2022  
प्रति,

सीहोर दिनांक 16/06/2022

क्षेत्रीय अधिकारी  
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
भोपाल

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्र. 08/2021 (कृष्ण गोपाल बैरागी विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य में दिनांक 27/04/2022 को पारित आदेश के अनुपालन का प्रतिवेदन।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्र. 08/2021 (कृष्ण गोपाल बैरागी विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य में दिनांक 27/04/2022 को पारित आदेश के अनुपालन का प्रतिवेदन संलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-

1. प्रतिवेदन
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर का पत्र क्र. 124 दिनांक 13/06/2022
3. कार्यपालन यंत्री, नगर पालिका सीहोर का पत्र क्र. 2514 दिनांक 03/06/2022

  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका प्रशासन सीहोर

# कार्यालय नगर पालिका प्रशासन सीहोर, जिला सीहोर म.प्र.

क्र.2647/न्याया.शा./नपासी/2022


सीहोर दिनांक 16/06/2022

:: प्रतिवेदन ::

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक OA No. 08/2021 (CZ) के संबंध में पारित आदेश दिनांक 27/04/2022 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में की गई कार्यवाही निम्नानुसार है:-

1. कार्यालय नगर पालिका सीहोर पत्र क्र. 2496/न्याया.शा./2022 सीहोर दिनांक 02/06/2022 के माध्यम से तहसीलदार (शहर) सीहोर को माननीय ट्रिब्यूनल के निर्देशों के परिपालन में स्थल का सीमांकन कराने हेतु सूचित किया गया था। तहसीलदार (शहर) सीहोर द्वारा 04 सदस्यीय दल का गठन कर सीमांकन कराए जाने की जानकारी दी गई है। सीमांकन का प्रतिवेदन प्राप्त होते ही प्रस्तुत किया जाएगा।
2. सीवन नदी के किनारे पर स्थित ईट भट्टों को हटाने के संबंध में माननीय ट्रिब्यूनल के निर्देशों के परिपालन में नगर पालिका सीहोर के पत्र क्र. 2496/न्याया.शा./2022 सीहोर दिनांक 02/06/2022 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर को अवगत कराया गया है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में स्थानीय निर्वाचन अंतर्गत पंचायत एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की प्रक्रिया गतिशील है। ईट भट्टा संवालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। निर्वाचन की कार्यवाही संपन्न होने के उपरांत उन्हें हटाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
3. राज्य शासन द्वारा विजयासन धाम कालोनी के कालोनाईजर के विरुद्ध अवैध कालोनी निर्माण के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा संबंधित कालोनाईजर को नोटिस जारी कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने की प्रक्रिया प्रचलित है।
4. विजयासन धाम कालोनी में बने हुए मकानों के सीवेज के ट्रिटमेंट की वर्तमान स्थिति के संबंध में नगर पालिका सीहोर के कार्यपालन यंत्री से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है जिसके अनुसार प्रश्नाधीन कालोनी के 11 आवासीय भवनों में सीवेज के निराकरण हेतु सेप्टिक टैंक बनाए गए हैं। सीवेज के उपचार उपरांत सेप्टिक टैंक से निकलने वाले द्रव को सोखता गड़्ढा में छोड़ा जाता है। इस प्रकार कालोनी से निकलने वाले सीवेज को नदी में प्रवाहित नहीं किया जा रहा है।

कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है कि भारत सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत सीहोर शहर के सीवर नेटवर्क से वंचित क्षेत्रों में सीवर नेटवर्क की व्यवस्था किए जाने हेतु डी.पी.आर. तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। स्वीकृति उपरांत माननीय ट्रिब्यूनल के निर्देशों के परिपालन में विजयासन धाम कालोनी क्षेत्र को सीवर नेटवर्क में शामिल कर झुनियाबाड़ी एसटीपी के माध्यम से सीवेज का उपचार करना सुनिश्चित किया जाएगा।

  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका प्रशासन सीहोर

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग सीहोर म0प्र0  
कमांक 124 /रीडर/2022 सीहोर, दिनांक 13 /06/2022

प्रति,

✓ मुख्य नगरपालिका अधिकारी,  
नगरपालिका परिषद् सीहोर।

विषय:- नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रकरण कमांक OA/08/2021 श्री कृष्णगोपाल बैरागी  
विरुद्ध म.प्र. शासन, आदि में निर्णय दिनांक 27/4/2022 के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र कमांक पत्र कमांक 2496/न्याया. शा./2022 दिनांक 2//06/2022

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में लेख किया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल के प्रकरण कमांक OA/08/2021 आदेश दिनांक 27/04/2022 द्वारा पारित आदेश के पैरा 6 (5) में निर्देशित किया गया है कि सीवन नदी के बफर जोन से ईट भट्टो को हटवाया जावे।

वर्तमान में पंचायत/नगरीय निकाय निर्वाचन संबंधी कार्यों में राजस्व अमला(अधिकारी/कर्मचारी) कार्यरत होकर निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त है।

अतएव माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल के आदेश के परिपालन उपरोक्तानुसार कार्यवाही के-लिए निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 8/7/2022 के पश्चात अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया जावे।

  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
सीहोर

कार्यालय नगरपालिका प्रशासन, सीहोर, जिला-सीहोर (म0प्र0) 466001

क्रमांक / 2514 / लोनिशा. / 2022

सीहोर, दिनांक 03/06/2022

प्रति,

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका प्रशासन, सीहोर (म0प्र0)

विषय:- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रकरण क्रमांक OA/08/2021 श्री कृष्णगोपाल बैरागी विरुद्ध म0प्र0 शासन आदि में निर्णय दिनांक 27/04/2022 के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक-2496/न्याया.शाखा/2022 सीहोर दिनांक 02/06/2022

-0-

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि विवादित कालोनी का स्थल निरीक्षण किया गया है जिसमें निर्मित भवनों के सैप्टी टैंको, सीवेज प्रबन्धन, सोकपिट के संबंध में प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

क्र0	भवन स्वामी का नाम	सैप्टी टैंक की स्थिति हों/नहीं	सीवेज की स्थिति	रिमांक
1	आरती चन्द्रवंशी (प्रथम गली)	हों	उक्त स्थल पर पक्की नाली बनी है	सीवेज का पानी कालोनी के पास बने सोखता गड्ढे में जाता है
2	संतोष सोनी	हों	--	--
3	राजेन्द्र शर्मा	हों	--	--
4	अखिलेश सोनी	हों	--	--
5	शोभा	हों	--	--
6	गुरुचरणसिंह (द्वितीय गली)	हों	--	--
7	महेश बायत	हों	--	--
8	गुरमीतसिंह (तृतीय गली)	हों	--	--
9	कनला रैकवार	हों	--	--
10	अमित	हों	--	--
11	संतोष	हों	--	--

स्वीकृत योजना अमृत 2.0 अन्तर्गत जिन स्थानों पर सीवर लाइन नहीं डाली गयी है उक्त स्थानों पर आवश्यकता के अनुरूप सीवेज का कार्य कराया जावेगा। तथा वर्तमान में सैप्टी टैंको का पानी की निकासी नेचुरल सोकपिट में हो रही है एवं वर्षाऋतु में वृक्षारोपण की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त आवेदन आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

No. 2328  
6/6/22

कार्यालय नगरपालिका प्रशासन, सीहोर